न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व ता... अहकाम जो इ... हुक्म की तामील में जारी हुए।

मोहन कोली बनाम कन्हैयालाल

वाद संख्या– 02 / 11 / 2023

04.01.2023 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का वकील प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत कर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने का निवेदन किया कि हाल आराजी के खाता संख्या 641 खसरा संख्या 829 / 1 / 1.36 वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील टहला जिला अलवर के बिना तकसीम कराए आराजी के किसी विशिष्ट भाग को दीगर शख्सों को किसी भी प्रकार से मुंतकिल कर मुंतकिल कर मुंतकिली का दस्तावेज पंजीबद्ध न करें न करावे ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी से जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करते हुए कोई निर्माण कार्य करें ना ही प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थीगण को उक्त आराजी में उनके हिस्सेनुसार कब्जे–काश्त व उपयोग–उपभोग में व्यवधान उत्पन्न करें एवं उक्त आराजी के मौके व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। साथ में शपथ पत्र पेश किया।

प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को निम्न तीन महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर जॉचना आवश्यक है–

(अ) मुतनाजा आराजी पर प्रार्थी का स्वत्व / कब्जा होना आवश्यक है।

(ब) प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन का प्रार्थी के पक्ष में झुकाव होना आवश्यक है।

(स) प्रकरण में मुतनाजा आराजी पर अप्रार्थी द्वारा प्रार्थी को बेदखल किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होना साबित होनी चाहिये।

वकील प्रार्थी को एक पक्षीय सुना गया। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी उक्त आराजी का अभिलिखित काश्तकार है। अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी, शपथ पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज पर विश्वास करते हुये अप्रार्थीगण को आराजी के खाता संख्या 641 खसरा संख्या 829 / 1 / 1.36 वाके ग्राम खोहदरीबा तहसील टहला जिला अलवर से अप्रार्थी आगामी तारीख पेशी दिनांक 01.02.2023 तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा है कि आगामी तारीख पेश तक विवादित आराजी के रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संबध में कोई आक्षेप हो तो दिनांक 01.02.2023 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें। दर्ज हो।

उपखण्ड अधिकारी

राजगढ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़

तारीख हुक्म	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	9/7/25 पत्रावली [illegible] पेशी से पेश। पाबन्द तलबी प्रतिवादीगण किया। 27/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 27/10/25 पत्रावली पेश। मूलवाद Order 9 Rule 5 के तहत खारिज किया जा चुका है। अतः प्रचलित धारा 212 RT Act की कार्यवाही बंद की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के साथ संलग्न हो। (हस्ताक्षर) SDO

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़ हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
8/7/25 पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक ...10/25 को पेश हो। 8/7/25 पत्रावली [illegible] पेश वादी तलबी प्रतिवादीगण [illegible] 27/10/25 को पेश हो। SDO 27/10/25 पत्रावली पेश। वकील वादी उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली काफी समय से तलबी के अन्तर्गत विचाराधीन होने के कारण पत्रावली order 9 Rule 5 non-compliance के तहत खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा हो। SDO	

... उपखण्ड अधिकारी राजगढ़